तारीख हुक्म

राजस्व आवेदन संख्या 310/2022
अनवान जोराराम बनाम इन्दरा

07/03/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एंव विप्रार्थीगण संख्या 54 से 61 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड डाक से की गई है, तामिल पर्याप्त है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी **मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 805/433 रकबा 17.8223 हैक्टेयर भूमि के** अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

विप्रार्थी संख्या 54 से 61 के अधिवक्ता की ओर से पेश जवाब अनुसार प्रार्थी के सेढासेढ विप्रार्थी संख्या 54 से 61 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नारणोणियों की ढाणी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 101 में आई हुई है उक्त भूमि के चारो तरफ नेखबंदी करवाने के लिए न्यायालय हाजा में राजस्व आवेदन 41/2018 में दिनांक 04.05.2018 को आदेश पारित किया गया लेकिन उक्त आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं हुई हैं। राजस्व गांव भाडखा पुरोहितान एंव नारणोणियों की ढाणी भाडखा में आस –पास के खसरो की भूमि में की गई नेखमबंदी आदेशों की पालना में खसरा संख्या 94 व 156/98 मौजा नारणोणियों की ढाणी भाडखा की भूमि के चारो तरफ लगे हुए नेखम/पत्थरों को आधार मानकर की जाती है एंव उसके आधार पर की गई नेखमबंदी गलत हो रहीं हैं। अतः तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से मौका जांच रिपोर्ट तलब किया जावें।

उक्त प्रकरण के सबंध में तहसीलदार से मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक 284 दिनांक 17.02.2025 द्वारा मौका व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करवाई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:16:25 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण की रिपोर्ट अनुसार खसरे में एक पक्का मकान बना हुआ है, टयूबेल खुदा हुआ है घर व टयूबेल के लाईट का बिल जोराराम पुत्र सिमरथाराम के नाम से जारी होता है। एंव मौके पर जितना खेत काश्त करते है उस हिस्से में तारबंदी कर रखी है। रेकर्ड में खसरा

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

संख्या 805/433 रकबा 17.8223 हैक्टेयर भूमि जोराराम पुत्र सिमरथाराम जाति कुमावत के नाम से दर्ज है उक्त खसरे में किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावी नहीं हैं।

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, संलग्न दस्तावेजो के अवलोकर व वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया **मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 805/433 रकबा 17.8223 हैक्टेयर भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली बाद तकमील सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:16:25 IST
Reason: SelfAttested